

## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 92/2021 बउनवानी राधेश्याम जांगिड बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूंगर  
पुत्र श्री स्व0 श्री बृजमोहन जांगिड नि0 मकान नम्बर-811 बी श्रीनाथपुरम कोटा  
**GCMS No-2021/279**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.11.2021	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिलोली नदी की जमीन में खाता संख्या 19 में हम सभी सहखातेदारों की जमीन का तकासमा आपके द्वारा किया गया उसका नक्शा ट्रेस सहित दस्तावेजों की प्रमाणित सूचना और रामप्रसाद गुर्जर पुत्र श्री कन्हैया गुर्जर एवं शिवचरण गुर्जर पुत्र श्री बच्चू सिंह गुर्जर निवासी बिलोली नदी तह0 मलारना डूंगर की रजिस्ट्री दिनांक 14.7.2021 को आपने की थी जिसका आपने बटवारा कही पर किया गया उसके द्वारा नक्शा ट्रेस सहित बटवारे की सूचना तथा दस्तावेजों की सूचना।</li> <li>2. नर्वदा देवी जांगिड पत्नि श्री रामसहाय जांगिड की रजिस्ट्री वर्ष 2002-21 में की थी जिसकी सूचना</li> <li>3. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष क्रेतागण को मौके पर ले जाकर रामसहाय जांगिड की जमीन को आपने उक्त भूमि का खाता संख्या 19 में वास्तविक कब्जा कहीं सम्भलाया उसके नक्शे ट्रेस सहित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सूचना।</li> <li>4. दिनांक 14.7.2021 को पु. संख्या 1 जिल्द संख्या 144 में पृष्ठ संख्या 141 क.स.202103490100436 पंजीबद्ध किया जिसकी प्रमाणित सूचना।</li> <li>5. अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 443 पृष्ठ संख्या 195 से 208 पर चर्चा किया जिसकी प्रमाणित सूचना एवं क स. 20210149000670 की प्रमाणित सूचना।</li> <li>6. प्रार्थी द्वारा आपके पास भेजी गयी प्रार्थना पत्र को पुनः संलग्न कर भिजवाई जा रही है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2021 पर आप द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सूआ/2021/376 दिनांक 9.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 में चाही गयी बिन्दु संख्या 2,4,5 के लिए शुल्क जमा करवाने हेतु तथा बिन्दु संख्या 1 व 3 के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्रांक 5155 दिनांक 13.9.2021 से लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,4,5 पर चाही गयी सूचना के लिए शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 5155 दिनांक 13.9.2021 से लिखा जा चुका है। किन्तु अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग( सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार पंजीयन दस्तावेजों की प्रतिलिपि शुल्क पर सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधान लागू नहीं होकर पंजीयन अधिनियम,1908 लागू है। अतः अपीलान्ट को उक्त सूचना सूचना पंजीयन अधिनियम के तहत शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही उपलब्ध करवायी जावे। शेष बिन्दु संख्या 1 की सूचना कार्यालय में सृजित नहीं है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण निश्चयाना सम्भव नहीं है किन्तु बिन्दु संख्या 6 की सूचना 15 दिवस में अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फाइल सुनार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।</p> <p style="text-align: right;">C-41 (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>